



पत्रांक: 3457 / जमशेदपुर

दिनांक: 15/10/2018

सेवा में,

श्री अश्विनी कुमार कच्छप,
विधुत कार्यपालक अभियन्ता
ट्रांसमिशन प्रमंडल,
गोलमुरी, जमशेदपुर।

विषय :- झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड का बहरागोड़ा-धालभूमगढ़ 132 KV D/C ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु 8.763 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- आपका पत्रांक 580 दिनांक 04.10.2018

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रांसगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयान्तर्गत आपके द्वारा समर्पित वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव में निम्न प्रतिवेदन एवं अभिलेख संलग्न नहीं किया गया है :-

1. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि एवं गैर वनभूमि में अवस्थित वृक्षों का प्रजातिवार एवं गोलाईवार गणना सूची।
2. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि के संबंध में वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत संबंधित उपायुक्त का अनापत्ति प्रमाण पत्र।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त वांछित प्रतिवेदन एवं अभिलेख इस कार्यालय में समर्पित करने का कष्ट किया जाय जिससे कि प्रस्ताव के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकें।

विश्वासभाजन
15/10/18
वन प्रमंडल पदाधिकारी
जमशेदपुर वन प्रमंडल
15/10/18 जमशेदपुर।